प्रेस नोट

दिनांक: 21.08.2026

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा देवीपाटन परिक्षेत्र के समस्त जनपदों के कांवड़ ड्यूटी में लगे पुलिस बल को व्यवहार एवं संवाद कौशल का दिया गया प्रशिक्षण

गोण्डा। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा देवीपाटन परिक्षेत्र के समस्त जनपदों में कांवड़ ड्यूटी में लगे पुलिस अधि0/कर्मचारीगण को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित बहुउद्देशिय हाल में व्यवहार कौशल एवं संवाद कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान आमजन, कांवड़ यात्रियों, श्रद्धालुओं एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ शालीन, संवेदनशील एवं प्रभावी व्यवहार तथा संवाद स्थापित करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस कर्मियों को तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखने, विवाद की स्थिति में प्रभावी संवाद के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने, आमजन की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनने तथा सौम्य एवं सहयोगात्मक पुलिसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा बताया गया की उक्त प्रशिक्षण को प्रभावी रूप से सम्पन्न कराने हेतु प्रशिक्षण निर्देशालय द्वारा 03 प्रशिक्षण टीमों का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से देवीपाटन परिक्षेत्र के समस्त जनपदों में कांवड़ ड्यूटी में लगे पुलिस बल को व्यवहार, संवाद एवं सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस बल द्वारा बेहतर जनसंवाद, संवेदनशील पुलिसिंग एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखना है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>2014 बैच के IPS अधिकारी श्री विनीत जायसवाल बने जनपद सुल्तानपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक-</u>

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी **श्री विनीत जायसवाल** को जनपद सुल्तानपुर का नवागत पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। श्री विनीत जायसवाल मूल रूप से जनपद **गोरखपुर** के निवासी हैं। उन्होंने **कम्प्यूटर साइंस से बीटेक** की शिक्षा प्राप्त की है। भारतीय पुलिस सेवा में आने से पूर्व उन्होंने प्रतिष्ठित **इंफोसिस कम्पनी में इंजीनियर** के रूप में कार्य किया। उनके पिता **श्री राधेश्याम जायसवाल** जेल अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पिता की पुलिस सेवा से प्रेरित होकर श्री विनीत जायसवाल ने भी पुलिस सेवा में आने का निर्णय लिया। इंफोसिस में कार्य करने के दौरान उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की तथा परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए।

श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान **जनपद शामली, हाथरस, चंदौली एवं गोण्डा में पुलिस अधीक्षक** के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया है। इसके अतिरिक्त **प्रयागराज, नोएडा एवं लखनऊ** में भी उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया।

श्री विनीत जायसवाल द्वारा **17 दिसम्बर 2023 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा** के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था। जनपद गोण्डा में लगभग **02 वर्ष 08 माह के कार्यकाल** के दौरान उनके द्वारा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही तथा जनहित में प्रभावी पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया गया। तथा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा की व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणाली में गुणवत्तापूर्ण सुधार करते हुए रिजर्व पुलिस लाइन को ISO प्रमाणित कराया गया।

पुलिस सेवा के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए **DG's Commendation Disc Silver, DG's Commendation Disc Gold एवं DG's Commendation Disc Platinum** से सम्मानित किया जा चुका है।

नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा बताया गया कि जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देना तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण कराना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा। पुलिस एवं आमजन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जनपद में सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए प्रभावी एवं पारदर्शी पुलिसिंग सुनिश्चित की जाएगी।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 21.08.2026</u>

<u>नये कानून 107(1) बीएनएसएस के तहत आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति कुल रु0-6,42,24,544/- (छः करोड़ बयालिस लाख चौबीस हजार पाँच सौ चौवालिस रूपये) कुर्क/जब्त-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत समस्त राजपत्रित अधिकारी /थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि नए कानून का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करते हुए उनके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे अपराधी जिन्होंने आपराधिक कृत्य से संपत्ति अर्जित की है उनके विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 107(1) के दिये गये प्रावधानों के अनुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

प्रकरण न0-01. दिनांक 02.01.2026 को भुवन चन्द्र सती, सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि गोण्डा शाखा में ऋण वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता एवं धोखाधड़ी की गयी है। स्पेशल ऑडिट की अन्तरिम रिपोर्ट एवं गठित कमेटी की संस्तुति के परीक्षण में प्रकाश में आया कि अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) द्वारा बैंक के अन्य कार्मिकों व खाताधारकों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर बैंक की नीति एवं आरबीआई/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध ऋण स्वीकृति व वितरण किये गये। जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त द्वारा स्वयं, अपने परिवारजनों एवं गिरोह के सदस्यों को बिना पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के ऋण वितरित किये गये तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक के 205 खाताधारकों के ऋण व बचत खातों एवं 05 आन्तरिक खातों से कुल रु0 2147.78 लाख की धनराशि का विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दुर्विनियोग/अपहरण किया गया। जिसमें 05 आन्तरिक खातों से अनधिकृत रूप से रु0 46.13 लाख की धनराशि निकाल कर गबन किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 45/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 316(5), 3(5), 61(2)(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 18.01.2026 को मुख्य आरोपी अभियुक्त 01. पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) पुत्र स्व0 राम केवल पाल निवासी कृष्णानगर कालोनी जनौरा परिक्रमा मार्ग एनएसएस विद्यालय नाका जनौरा फैजाबाद, दिनांक 22.02.2026 को अभियुक्त 02. राघवराम पुत्र समयदीन (खाताधारक), 03. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा (खाताधारक) व दिनांक 19.05.2026 को अभियुक्त 04. सुशील कुमार गौतम पुत्र रामलाल गौतम(सहायक शाखा प्रबन्धक) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

विवेचना के उपरान्त थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मा0न्यायालय में याचना की गयी थी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना कोतवली नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0स0 45/2026 से सम्बन्ध में मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जालसाजी/धोखाधड़ी/गबन में संलिप्त अभियुक्त के द्वारा अर्जित किये गये सम्पति, वाहन सहित 5,94,43,000,/- रूपये अन्तर्गत धारा 107(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कुर्क/जब्तीकरण का आदेश दिया गया। आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही कर नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की जाएगी

प्रकरण न0 02. दिनांक 26.02.26 व 28.02.2026 को थाना को0नगर क्षेत्रान्तर्गत वादीगण द्वारा एक ही प्रकार की ठगी/धोखाधड़ी की घटना के सम्बन्ध में अलग अलग तहरीरे प्रस्तुत की गयी जिनमें मुख्य आरोपी विवेक कुमार उर्फ शमशाद तथा उसके सहयोगियों द्वारा "मल्टी इंटरनेशनल इमीग्रेशन काउंसिल/काउन्सिलिंग" नाम से कार्यालय संचालित कर लोगों को रूस (मास्को) में नौकरी दिलाने के नाम पर वीजा बनवाने का झांसा देकर धनराशि ठगने का आरोप लगाया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 179/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 186/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 05.03.2026 को मुख्य आरोपी अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ शमशाद खान पुत्र कासिम खान निवासी 341 स्वमील रोड़ वार्ड न0 20 बेला गोला हरीनगर थाना रामनगर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

विवेचना के उपरान्त थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मा0न्यायालय में याचना की गयी थी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना कोतवली नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0स0 179/2026 से सम्बन्ध में मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर ठगी/धोखाधड़ी में संलिप्त अभियुक्तों के द्वारा अपराधिक कृत्यों से अर्जित किये गये 01 अदद स्कार्पियों काली रंग नम्बर UP53FN4414 कीमत 17,00,000/- रूपये व 24,04544/- रूपये तथा मु0अ0स0 186/2026 के सम्बन्ध में 6,77,000/- रूपये अन्तर्गत धारा 107(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कुर्क/जब्तीकरण का आदेश दिया गया । इस प्रकार स्कार्पियों गाड़ी सहित कुल 47,81,544/- (सैतालिस लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौवालिस रूपये) आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही कर नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण न0-01.-

जब्त सम्पत्ति का विवरण-

अपराध से अर्जित 5,94,43,000,/- (पाँच करोड़ चौरानवे लाख तैतालिस हजार रूपये)

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 45/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 316(5), 3(5), 61(2)(a) बीएनएस

प्रकरण न0-02.-

जब्त सम्पत्ति का विवरण-

01. 01 अदद स्कार्पियों N काला रंग नम्बर UP53FN4414 (कीमत 17,00,000/- रूपये)।
02. रु0 30,81,544/- (तीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौवालिस रूपये) आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 179/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 186/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

नोटः इस प्रकार गोण्डा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरू अपराध से अर्जित 5,94,43,000,/- (प्रकरण न0 -01) व स्कार्पियों गाड़ी सहित कुल 47,81,544/- (प्रकरण न0-02), कुल रु0- 6,42,24,544/- (छः करोड़ बयालिस लाख चौबिस हजार पाँच सौ चौवालिस रूपये) की सम्पति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही हुई।

मीडिया सेल, गोण्डा।